बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री अभिषेक अकेला (कोटि क्रमांक–231/2024), तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, दुल्हिन बाजार, पटना के विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या–110/2025 दिनांक–13.12.2025 दर्ज होने तथा इस क्रम में निगरानी धावा–दल द्वारा दिनांक–17.12.2025 को परिवादी से 10,000/– (दस हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने संबंधी प्राप्त सूचना एवं गंभीर आरोप के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–1617 दिनांक–06.04.2026 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–9(1)(क)(ग) एवं 9(2)(क) में वर्णित प्रावधानों के तहत श्री अकेला को कारा–निरोध की तिथि यथा–17.12.2025 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. उल्लेखनीय है कि उप निदेशक (खाद्य), पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक–78 दिनांक–04.06.2026 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री अकेला द्वारा जमानत पर न्यायिक हिरासत से रिहा होने के उपरान्त दिनांक–19.05.2026 को इस कार्यालय में योगदान समर्पित किया गया है।

3. तद्‌लोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–9(3)(i) में निहित प्रावधान के तहत श्री अकेला द्वारा दिनांक–19.05.2026 को समर्पित योगदान को स्वीकृत करते हुए उक्त तिथि से ही इन्हें निलंबन से मुक्त किया जाता है तथा उक्त अवधि के लिए श्री अकेला को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(पटना)–01/2026 2993 /खाद्य, पटना/दिनांक 10/06/2026

प्रतिलिपि–1. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. उप निदेशक (खाद्य), पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. अवर सचिव, प्रशाखा–03 एवं आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. श्री अभिषेक अकेला (कोटि क्रमांक–231/2024), तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, दुल्हिन बाजार, पटना सम्प्रति उप निदेशक (खाद्य) का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना, मोबाईल संख्या–9708440298, E-Mail : akela 9708440298@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\2025\Suspension Order\Abhishek Akela_1.doc